कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) बांसवाडा (राज.)

क्रमांक एफ 32( )/रसद/प्राधिकार/2022/609-22 दिनांकः– 22/12/2022

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में बाँसवाड़ा जिले की 102 रिक्त उचित मूल्य दुकानों का आवंटन करने के लिए पात्र आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

योग्यताः–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डस मे से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

   उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानो के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना–पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा वह ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार–पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि मे दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डो को पूर्ण नहीं करते है उन्हे 06 माह में मापदण्ड पूर्ण किए जाने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि घोषणा–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाते है, तो प्राधिकार–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं

होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार–पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्वातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो संतानो की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानो को एक इकाई ही समझा जावेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गए है। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

<u>आवेदन का तरीका</u> :–

1. आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2022 से 20.01.2023 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय बाँसवाड़ा से प्राप्त किए जा सकेगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2023 को सांय 06:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेगे।
2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है, जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक/सचिव की शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदको के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।
6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) दो प्रतियों मे।
8. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र।
9. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

10. जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
14. पासपोट साईज के 03 नवीनतम फॉटो, जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावेगा एवं दो संलग्न किये जावेंगे।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–

आरक्षित स्थानो के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः–

प्रथम वरीयता :–

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरीयता :–

1. बेरोजगार – (i) निःशक्त जन
   (ii) महिलाए –
   (क) शहीद की विधवा (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता
2 भूतपूर्व सैनिक
3 अन्य पात्र बेरोजगार

नोटः– आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य की दुकानो के लिए चयन का आधार द्वितीय वरीयता के अनुसार रहेगा। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार–पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	तहसील	उचित मूल्य दुकान का नाम	ग्राम पंचायत/ वार्ड	एफपीएस कोड	श्रेणी
1	घाटोल	बडाना प्रथम	बड़ाना	5900	सामान्य
2		बड़ाना भाग–द्वितीय	बड़ाना	5901	अनुसूचित जनजाति (महिला)
3		बामनपाडा प्रथम	बामनपाड़ा	5905	सामान्य
4		कंठाव भाग–प्रथम	कंठाव	5951	अनुसूचित जनजाति
5		पडौली राठौड – द्वितीय	पडौली राठौड	5970	अनुसूचित जनजाति (महिला)
6		छोटी पडाल प्रथम	छोटी पडाल	5966	अनुसूचित जनजाति
7		गोरछा भाग–प्रथम	गोरछा	5946	सामान्य
8		देलवाड़ा भाग–प्रथम	देलवाडा लोकिया	5936	अनुसूचित जनजाति
9		पाडला भाग–प्रथम	पाडला	5967	सामान्य (महिला)
10		घाटोल भाग--प्रथम	घाटोल	12844	सामान्य

11		घाटोल भाग–द्वितीय	घाटोल	12846	अनुसूचित जनजाति
12		चडला भाग–द्वितीय	चडला	5928	सामान्य (महिला)
13		देवदा भाग–प्रथम	देवदा	5937	सामान्य
14		कानड़ा	कानडा	5940	अनुसूचित जनजाति
15		नरोतो की गोज	नरोतो की गोज	12859	सामान्य
16	बागीदौरा	बागीदौरा भाग–चतुर्थ	बागीदौरा	11963	अनुसूचित जनजाति
17		पिण्डारमा भाग–प्रथम	पिण्डारमा	6332	अनुसूचित जनजाति
18		पाटन भाग–द्वितीय	पाटन	11548	सामान्य
19		बालावाडा	बालावाडा	11964	अनुसूचित जनजाति
20	गांगडतलाई	ढालर भाग–द्वितीय	ढालर	6288	सामान्य
21		खुंटागलिया भाग–द्वितीय बी	खुंटागलिया	6314	सामान्य
22		खुंटीनारजी	खुंटीनारजी	6317	सामान्य
23		डागल	डागल	11990	अनुसूचित जनजाति
24		रोहनिया भाग–द्वितीय	रोहनिया	6341	सामान्य
25		हाण्डी भाग–तृतीय	हाण्डी	6320	अनुसूचति जनजाति (महिला)
26		चरकनी	चरकनी	6339	अनुसूचित जनजाति
27		रोहनवाडी भाग–द्वितीय	रोहनवाडी	6342	सामान्य
28		गणेशपुरा	गणेशपुरा	11994	सामान्य
29	आनन्दपुरी	कडदा भाग–द्वितीय	कडदा	12775	अनुसूचित जनजाति
30		छाजा भाग–प्रथम	छाजा	6234	सामान्य
31		भलेर भोदर भाग–प्रथम	भलेर भोदर	6233	सामान्य
32		आमलिया आम्बादरा भाग–प्रथम	आमलिया आम्बादरा	12766	सामान्य
33		मडकोला मोगजी भाग–प्रथम	मडकोला मोगजी	6246	अनुसूचित जनजाति
34		छाजा भाग–द्वितीय	छाजा	6235	सामान्य
35		उदयपुरा बडा भाग–प्रथम	उदयपुरा बडा	6271	अनुसूचित जनजाति
36		पाटिया गलिया भाग–प्रथम	पाटिया गलिया	6259	सामान्य
37		तेजपुरा भाग–प्रथम	तेजपुरा	6261	अनुसूचित जनजाति
38	कुशलगढ़	बडवास छोटी भाग–प्रथम	बड़वास छोटी	6420	अनुसूचित जनजाति (महिला)
39		भंवरदा	भंवरदा	6455	सामान्य (महिला)
40		महुडा	महुडा	6452	अनुसूचित जनजाति
41		चरकनी भाग–द्वितीय	चरकनी	12783	सामान्य
42		बड़ी सरवा भाग–प्रथम	बड़ी सरवा	6415	सामान्य
43		बड़वास बड़ी भाग–प्रथम	बड़वास बड़ी	6419	सामान्य
44		बावलिया पाडा भाग–प्रथम	बावलिया पाडा	6424	सामान्य
45		कलिंजरा भाग–प्रथम	कलिंजरा	6436	सामान्य
46	न. पा. कुशलगढ़	न. पा. कुशलगढ़ वार्ड 1, 3	1, 3	17821	सामान्य

47	सज्जनगढ़	पाली बडी भाग प्रथम	पाली बड़ी	6395	अनुसूचित जनजाति
48		गोडा	गोडा	6380	अनुसूचित जनजाति (महिला)
49		मगरदा डामरा साथ भाग–प्रथम	मगरदा डामरा साथ	6386	अनुसूचित जनजाति
50		सातसेरा भाग–प्रथम	सातसेरा	6404	अनुसूचित जनजाति
51		पाली छोटी	पाली छोटी	6387	अनुसूचित जाति
52		सागवा भाग–प्रथम	सागवा	6400	सामान्य
53		जालिमपुरा भाग–प्रथम	जालिमपुरा	12013	सामान्य (महिला)
54		बिलडी भाग–द्वितीय	बिलडी	6363	अनुसूचित जनजाति (महिला)
55		टाण्डा रतना भाग–द्वितीय	टाण्डा रतना	6411	अनुसूचित जनजाति
56	बाँसवाड़ा	कुण्डला भाग द्वितीय	कुण्डला	11248	अनुसूचित जनजाति
57		खेरडावरा भाग प्रथम	खेरडाबरा	6174	अनुसूचित जनजाति (महिला)
58	नगर परिषद बाँसवाड़ा	न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 11, 12	11, 12	17831	सामान्य
59		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 13, 14	13, 14	17836	सामान्य
60		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 29	29	17857	अनुसूचित जनजाति
61		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 33	33	17860	अनुसूचित जनजाति
62		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 39	39	17861	सामान्य
63		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 44, 45	44, 45	17881	अनुसूचित जनजाति (महिला)
64		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 46, 47	46, 47	17884	सामान्य (महिला)
65		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 48	48	17888	सामान्य (महिला)
66		न. प. बाँसवाड़ा वार्ड 53, 54	53, 54	17906	सामान्य (महिला)
67	आवापुरा	नवाखेडा	नवाखेड़ा	6224	अनुसूचित जनजाति
68		आवापुरा भाग प्रथम	आवापुरा	6131	सामान्य
69		बोरखावर भाग द्वितीय	बोरखावर	6140	अनुसूचित जनजाति (महिला)
70		देवगढ़ भाग प्रथम	देवगढ़	12244	अनुसूचित जनजाति (महिला)
71		नल्दा भाग प्रथम	नल्दा	6194	सामान्य
72	छोटी सरवन	छायनवडी प्रथम	छायनवड़ी	5985	अनुसूचित जनजाति (महिला)
73		डेरी	डेरी	6009	सामान्य
74		खजूरी भाग प्रथम	खजूरी	6005	सामान्य
75		मकनपुरा भाग द्वितीय	मकनपुरा	5999	अनुसूचित जाति
76		कुण्डल	कुण्डल	11529	अनुसूचित जाति (महिला)
77		वारी	वारी	9132	सामान्य
78		जहांपुरा भाग–प्रथम	जहांपुरा	5998	अनारक्षित (महिला)
79		दनाक्षरी भाग–प्रथम	दनाक्षरी	5987	अनुसूचित जनजाति
80	गनोडा	अमरसिंह का गढ़ा	अमरसिंह का गढ़ा	27070	सामान्य

		भाग–द्वितीय			
81		भुवासा भाग–द्वितीय	भुवासा	12858	सामान्य
82		दुकवाड़ा	दुकवाड़ा	12864	सामान्य
83		मोटा टाण्डा भाग–प्रथम	मोटा टाण्डा	5958	अनुसूचित जाति
84		सोनामगरी	सोनामगरी	12866	सामान्य (महिला)
85		बडलिया भाग–द्वितीय	बडलिया	5903	अनुसूचित जनजाति (महिला)
86		बस्सी आडा भाग–प्रथम	बस्सी आड़ा	5913	सामान्य (महिला)
87	गढ़ी	मोर भाग–द्वितीय	मोर	6043	सामान्य
88		लोहारिया भाग–द्वितीय	लोहारिया	6072	अनुसूचित जनजाति
89		मादलदा भाग–प्रथम	मादलदा	12725	अनुसूचित जनजाति
90		डडूका भाग–प्रथम	डडूका	6045	सामान्य (महिला)
91		सरेड़ी बड़ी भाग–द्वितीय	सरेडी बड़ी	6113	सामान्य (महिला)
92		वजवाना सम्पूर्ण	वजवाना	6127	अनुसूचित जनजाति
93		नवागांव	नवागांव	6109	अनुसूचित जनजाति
94		न. पा. परतापुर वार्ड न. 9, 23, 24, 25	वार्ड न. 9, 23, 24, 25	6064	अनुसूचित जनजाति
95		न. पा. परतापुर वार्ड न. 14, 19	वार्ड न. 14, 19	12652	सामान्य (महिला)
96		न. पा. परतापुर वार्ड न. 20, 21	वार्ड न. 20, 21	12664	सामान्य
97	अरथूना	टिमुरवा भाग–तृतीय	टिमुरवा	6124	अनुसूचित जनजाति
98		ओडवाडा भाग–द्वितीय	ओडवाड़ा	6090	सामान्य
99		मलाना भाग–द्वितीय	मलाना	6075	सामान्य (महिला)
100		झड़स भाग–द्वितीय	झड़स	6055	अनुसूचित जाति
101		इटाउवा भाग–द्वितीय	इटाउवा	6052	अनुसूचित जनजाति
102		बिलोदा भाग–द्वितीय	बिलोदा	12668	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा–निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा और विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाईट www.banswara.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जिला कलक्टर (रसद)
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
3. एसीपी महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. उपखण्ड अधिकारी महोदय, बांसवाडा / घाटोल / छोटीसरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / वागीदौरा / आनन्दपुरी / गढी।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाडा को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. सहायक निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेव पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

जिला रसद अधिकारी
बांसवाडा